फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	25/4/24	प०क० तलवाना रिपोर्ट अप्राप्त। पुनः तलवाना/ आदि/ पत्रावली बइन्तजार रिपोर्ट दिनांक 17/5/24 को पेश हो। [signature]	
	17/5/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 3/6/24 को पेश हो। [signature]	
	3/6/24	प०क० उप० पत्रावली बइन्तजार रिपोर्ट हेतु दिनांक 24/6/24 को पेश हो। [signature]	
	24/6/24	प०क० उप० पत्रावली बइन्तजार रिपोर्ट हेतु दिनांक 19/7/24 को पेश हो। [signature]	
	19/7/24	प०क० उप० पत्रावली वास्ते बइन्तजार रिपोर्ट हेतु दिनांक 29/7/24 को पेश हो। [signature]	
	29/7/24	प०क० उप० पत्रावली में तहसीलदार चौमूं की स्पष्ट रिपोर्ट व अभिलेख के चाहने एवं वादी को मालिकाना रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश जारी कर पत्रावली वास्ते बइन्तजार रिपोर्ट हेतु दिनांक 23/8/24 को पेश हो। [signature]	
	23/8/24	प०क० उप० / तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट प्राप्त की [illegible] पत्रावली [illegible] किया गया। अतः [illegible] को [illegible] ही [illegible] गया। पत्रावली का अवलोकन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

[illegible] बनाम राज. सरकार वगैरह

मुकदमा नम्बर :– 33/2018 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		गया/ वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है/ विशेष [illegible] से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया/ पत्रावली के साथ से [illegible] [illegible] होकर [illegible] [illegible] तथा दाखिल दफ्तर हो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

\

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–33/2018

उनवान

1. बाल्या पुत्र भैरु
2. रिछपाल पुत्र भैरु
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला – जयपुर।

–प्रतिवादी

2. सकरी देवी पत्नी प्रभात पुत्र स्व0 भूरा एवं गोदी, जाति अहीर, निवासी झॉवला की ढाणी, ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
3. भागीरथ पुत्र गुलाब देवी एवं सुवालाल दोहिता गोदी देवी
4. राकेश पुत्र गुलाब देवी एवं सुवालाल दोहिता गोदी देवी
   समस्त जाति अहीर, निवासी जगन्नाथ वादी ढाणी, ग्राम करीरी, उप तहसील जालसू, जिला जयपुर।

– परफोरमा प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा रिकॉर्ड व नक्शा दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :– 23.08.2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली ए, भू0अ0नि0क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, में आराजी भूमि गत खसरा नम्बर 2923 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नम्बर 5800 रकबा 0.83 है0, खसरा नम्बर 5753 रकबा 0.85 है0, खसरा नम्बर 5753 रकबा 0.85 है0 स्थित है, उक्त भूमियां वादीगण व पर.प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की माता/नानी के नाम बराबर–बराबर खातेदारी में दर्ज हैं, पर.प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की माता/नानी, गोदी देवी का देहान्त हो चुका हैं, जिसका फौती नामान्तकरण नहीं खुला हैं, साथ ही ग्राम खेजरोली में भूमि खसरा नम्बर 5800/8451, 5753/8452 स्थित हैं, उक्त भूमिया ही इस वाद में विवादग्रस्त हैं। वाके ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं में आराजी भूमि गत खसरा नम्बर 2923 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा स्थित थी, जिसका राजस्व नक्शा एवं राजस्व जमाबन्दी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड सही था। लेकिन उक्त गत खसरा नम्बर के दौराने सेटलमेन्ट नये एवं हाल खसरा नम्बर 5800 रकबा 0.83 है0 खसरा नम्बर 5753 रकबा 0.85 है0 बने, जिनका राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में तो इन्द्राज सही कर दिया गया जो गत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार सही हैं, लेकिन गत खसरा नम्बर 2923 से बने हाल खसरा नम्बर 5800 एवं 5753 का राजस्व नक्शा को गत राजस्व नक्शा के अनुरुप न बनाकर सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने बिना अधिकारित एवं बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के एवं बिना वादीगण एवं पर.प्रतिवादी के उनके पूर्वजों को सुने राजस्व नक्शा में गलत इन्द्राज कर दिया अर्थात उक्त खसरा नम्बर का हाल राजस्व नक्शा गत राजस्व नक्शे के अनुरुप नहीं बनाया एवं गत खसरा नम्बर 2923 में उत्तर दिशा में वादीगण की भूमि में से दो खसरा नम्बर 5800/8451, 5753/8452 और बनाकर गलत रुप से राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई, जो कृत्य राजस्व/सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने बिना अधिकारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के किया हैं। जिसकी जानकारी वादीगण एवं पर.प्रतिवादी संख्या को नही रही, क्योंकि वादीगण को जानकारी ही नही थी, अब आज से करीबन 1 वर्ष पूर्व वादीगण से उक्त राजस्व नक्शे में गलत अंकन के कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रुप से बनाये गये खसरा नम्बर में से बेदखली हेतु खड्डे खोदे गये जो खड्डे वादीगण की गत खसरा नम्बर की भूमि में भी खोद दिये गये, जिस कारण कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही प्राप्त हुयी। अब दिनांक 20.04.2018 को वादीगण का सरकारी भूमि पर कब्जा हैं, जिस कारण खड्डे खोदे गयें, तब वादीगण को विश्वास नहीं हुआ एवं दिनांक 23.04.2018 को भूमि विवादग्रस्त को वर्तमान राजस्व नक्शा प्राप्त किया व गत राजस्व नक्शे से मिलान किया तो मालूम हुआ कि राजस्व/सेटलमेंन्ट कर्मचारियों ने अपने विधिक दायित्वों की अवहेलना करते हुये, बिना अधिकारिता के भूमि विवादग्रस्त के हाल राजस्व नक्शे को गलत राजस्व नक्शे के अनुरुप नहीं बनाकर गलत बनाया हैं एवं वादीगण की भूमि गत खसरा नम्बर 2923 से बने हाल खसरा नम्बर 5800, 5753 के अतिरिक्त उत्तर दिशा में राजस्व नक्शा में दो खसरा नम्बर 5800/8451, 5753/8452 ओर बनाकर गलत रुप से खातेदारी राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी, जो राजस्व कर्मचारियों/सेटलमेंट कर्मचारियों ने गलत रुप से किया हैं। जिसकी जानकारी होरे पर उक्त गलती को दुरुस्त करने हेतु वादीगण ने दिनांक 04.05.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 को प्रार्थना पत्र देकर उक्त गलती को दुरुस्त करने हेतु आवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने आवेदन नहीं लिया एवं दुरुस्ती से इंकार कर दिया तथा वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करने की धमकी दी, जिस कारण यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं।

वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा, रिकॉर्ड व नक्शा दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर भूमि विवादग्रस्त गत खसरा नम्बर 2923 में से राजस्व/सेटलमेंन्ट कर्मचारियों द्वारा बिना अधिकारिता के एवं गलत रुप से गत खसरा नम्बर 2923 में वादीगण की उत्तरी ओर भूमि कम कर बनाये गये खसरा नम्बर 5800/8451, 5753/8452 को वादीगण व पर.प्रतिवादी के हक अधिकारों के प्रति प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य व अधिकार विहिन घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड से उक्त खसरा नम्बर को समाप्त किया जाकर, उक्त खसरा नम्बर 5800/8451, 5753/8452 की भूमि को गत खसरा नम्बर 2923 से बने हाल खसरा नम्बर 2923 के राजस्व नक्शे की भांती उक्त गत खसरा नम्बर से बने हाल खसरा नम्बर 5800, 5753 के राजस्व नक्शे को दुरुस्त किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्ध किया जावें कि वह भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में राजस्व/सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा राजस्व जमाबन्दी व राजस्व नक्शा में किये गये गलत अंकन के आधार पर वादीगण को गलत रुप से बने खसरा नम्बर 5800/8451, 5753/8452 जो कि वादीगण की भूमि गत खसरा नम्बर 2923 से एवं उससे बने हाल खसरा नम्बर की भूमि से जबरन या अन्यथा बेदखल नहीं करें, ना ही पेनल्टी या अन्य राशि वसूल करें, ना ही वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में दखल, रुकावट करें। उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 न तो स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:14 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा [illegible] को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार चौमूं [illegible] रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के अनुसार ग्राम खेजरोली ए की वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार [illegible] नम्बर 5723 रकबा 0.85 हैo किस्म चाही, खसरा नम्बर 5800 रकबा 0.83 हैo किस्म चाही कुल किता 2 का कुल रकबा 1.68 हैo कानाराम पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/36 जाति अहीर सा0 सिंगोद खुर्द खातेदार वगै0

Scanned with OKEN Scanner

के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम खेजरोली ए के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के हाल खसरा नम्बर 5753 रकबा 0.85 है0 साबिक नम्बर 2923 मि रकबा 0.85 है0 व हाल खसरा नम्बर 5800 रकबा 0.83 है0 साबिक खसरा नम्बर 2923 मि0 रकबा 0.83 से बने है।

हमने प्रकरण में वादीगण की बहस सुनी। तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बार बार रिपोर्ट प्राप्त करने पर मुताबिक रिपोर्ट वादीगण के द्वारा साबिक रिकॉर्ड नक्शा शीट उपलब्ध नहीं करवाने के कारण रिपोर्ट दिया जाना सम्भव नहीं होना बताया गया है। एवं न्यायालय हाजा द्वारा भी वादीगण को साबिक रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने हेतु पाबन्द किया गया उसके बावजूद भी वादीगण के द्वारा कोई साबिक रिकॉर्ड ना तो न्यायालय हाजा में पेश किया गया ना ही तहसीलदार चौमूं/पटवारी हल्का आदि को भी उपलब्ध नहीं करवाया गया। ऐसे में न्यायालय के द्वारा राजहित को मध्यनजर रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिसमें वादीगण के द्वारा विवादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबन्दी की प्रति एवं साबिक रिकॉर्ड आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि वादीगण वाद का Master of Suit है जिससे सम्पूर्ण जानकारी के साथ रिकॉर्ड/साक्ष्य सबूत आदि पेश किया जाना वादी का दायित्व है। वादी के द्वारा अनावश्यक वाद को चलाने की मनसा रखना जाहिर होता है। ऐसे में न्यायालय का अभिमत है कि उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आदि से दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

1. बाल्या पुत्र भैरु
2. रिछपाल पुत्र भैरु

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला – जयपुर।

–प्रतिवादी

2. सकरी देवी पत्नी प्रभात पुत्र स्व0 भूरा एवं गोदी, जाति अहीर, निवासी झॉवला की ढाणी, ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
3. भागीरथ पुत्र गुलाब देवी एवं सुवालाल दोहिता गोदी देवी
4. राकेश पुत्र गुलाब देवी एवं सुवालाल दोहिता गोदी देवी

समस्त जाति अहीर, निवासी जगन्नाथ वादी ढाणी, ग्राम करीरी, उप तहसील जालसू, जिला जयपुर।

– परफोरमा प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा रिकॉर्ड व नक्शा दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–33/2018 निर्णय दिनांक:– 23.08.2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 23.08.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4......रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner